अध्याय I

प्रस्तावना

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भारत सरकार की एक प्रमुख सुधार पहल है, जो लोगों को सरकार से लाभ का बेहतर और समय पर वितरण सुनिश्चित करती है । यह मजदूरी भुगतान, ईंधन अनुदान, खाद्यान्न अनुदान आदि जैसे लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने, छीजत को दूर करने और वित्तीय समावेशन[2] को बढ़ाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव है । डीबीटी एक ऐसी शासन व्यवस्था की परिकल्पना करता है जो एक सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल सरकार से लोगों के बीच इंटरफ़ेस सुनिश्चित करती है और पात्र व्यक्तियों और परिवारों को निष्पक्ष, पारदर्शी, कुशल और विश्वसनीय तरीके से सीधे अधिकार प्रदान करती है ।

1.1 राज्य में डीबीटी

क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य और एक बड़ी आबादी होने के कारण राजस्थान के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने में विशिष्ट चुनौतियाँ हैं । इसलिए भौतिक वितरण की कमियों को दूर करने के लिए सेवा वितरण के लिये मजबूत इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की आवश्यकता थी ताकि पारदर्शी और छीजत रहित तरीके से निवासियों को जन कल्याण के लाभ घर-घर पहुंचाए जा सकें । राजस्थान में विभिन्न विभाग लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे लाभ और सरकारी सेवाओं के वितरण के लिए योजनाएं चला रहे हैं । वर्ष 2016 में भामाशाह योजना के तहत योजना विभाग में राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी ।

राज्य सरकार ने 2008 में वित्तीय समावेशन के लिए भामाशाह योजना शुरू की थी, जिसे 2014 और 2017 में पुनर्गठित किया गया था । भामाशाह अधिनियम[3] को राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय जानकारी का अभिग्रहण करके उन्हें आधार से जुड़ी हुई विशिष्ट आईडी प्रदान करके जन कल्याण लाभों और सेवाओं के सीधे हस्तांतरण के लिए पारित किया गया था । योजना के तहत भामाशाह मंच के माध्यम से नकद और वस्तु के रूप में लाभ पहुंचाने के लिए राज्य की 164 सामाजिक कल्याण योजनाओं को अधिसूचित[4] किया गया । भामाशाह अधिनियम को 2020 में जनाधार अधिनियम[5] द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था । भामाशाह योजना (अब जन-आधार योजना) की भूमिका लाभार्थियों की जनसांख्यिकीय जानकारी जैसे लिंग, जन्म तिथि, परिवार के सदस्यों का नाम, बैंक खाता विवरण और पहचान के साक्ष्य के रूप में काम करने की थी ।

---

[2] कैबिनेट सचिवालय के तहत डीबीटी मिशन द्वारा राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के लिए दिशानिर्देश

[3] राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) अधिनियम, 2017

[4] 161 योजनाएँ अधिसूचना दिनांक 6 फरवरी 2017 द्वारा और 03 योजनाएँ अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर 2017 द्वारा

[5] राजस्थान जन-आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020

1.2 विभाग एवं योजनाओं का चयन

विभाग का चयन वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान राज्य में किए गए डीबीटी भुगतानों पर सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया था। विवरण नीचे तालिका 1 में दिया गया है:

तालिका 1: विभिन्न विभागों द्वारा 2017-18 से 2019-20 के दौरान किया गया डीबीटी व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	संचयी डीबीटी व्यय
1	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	18,753.57
2	चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	759.14
3	श्रम	713.89
4	स्कूली शिक्षा और भाषा	606.13
5	कौशल, रोजगार और उद्यमिता	402.96
6	उच्च और तकनीकी शिक्षा	20.53
7	सूचना और जनसंपर्क	0.06

स्रोतः डीबीटी भारत पोर्टल और विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

इस प्रकार राजस्थान सरकार (रा.स.) के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (सा.न्या.एवं अधि.वि.) को निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) के लिए चुना गया था। सा.न्या.एवं अधि.वि. मुख्य रूप से शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करने वाले नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए उत्थान कार्यक्रमों के साथ-साथ दिव्यांग, निराश्रित और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों, महिलाओं और वृद्ध नागरिकों के कल्याण हेतु कार्यरत है। विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

- समाज के लक्षित समूहों का सामाजिक-आर्थिक विकास;
- छात्रवृत्तियों और छात्रावास सुविधाओं के माध्यम से लक्षित समूहों की शैक्षिक वृद्धि;
- वृद्ध, दिव्यांग और विधवा/निराश्रित आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं;
- नशीले पदार्थों के आदी व्यक्तियों, शराब तस्करों, लावारिस महिलाओं आदि के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम।

इसके अलावा, सा.न्या.एवं अधि.वि. के भीतर उच्चतम व्यय वाली योजनाएं निम्नानुसार थीं:

तालिका 2: सा.न्या.एवं अधि.वि. की उच्चतम व्यय वाली योजनाएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना में डीबीटी हस्तांतरण की राशि			कुल
		2017-18	2018-19	2019-20	
1	मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना	2,908.52	2,905.81	4,423.84	10,238.17
2	मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना	550.19	1,469.40	1,793.66	3,813.25
3	मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	298.48	388.47	448.76	1,135.71

स्रोतः सा.न्या.एवं अधि.वि. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

सा.न्या.एवं अधि.वि. के तहत सबसे ज्यादा व्यय वाली दो योजनाओं[6] यानी मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना (सीएमओएएसपीएस) और मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना (सीएमईएनएसपीएस) को नि.ले.प. के लिए चुना गया था।

राज्य में इन दो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 3: लाभार्थियों की स्थिति

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या			
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	सीएमओएएसपीएस	31,59,187	36,99,340	42,56,407	44,39,776
2	सीएमईएनएसपीएस	13,60,484	14,48,304	15,56,442	15,79,061

स्रोतः सा.न्या.एवं अधि.वि. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

1.2.1 चयनित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

सीएमओएएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस को सा.न्या.एवं अधि.वि., राजस्थान सरकार द्वारा 1974 से भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत राज्यों को दिए गए अधिदेश को पूरा करने के लिए लागू किया गया है ताकि उनके नागरिकों को निराश्रयता, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता[7] आदि के मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान की जा सके। ये दोनों पेंशन योजनाएं अब राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 (पेंशन नियम) द्वारा शासित हैं।

(i) मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना

इस योजना में राजस्थान के निवासियों को पेंशन भुगतान की परिकल्पना की गई है, जिन्होंने निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के साथ 58 (पुरुष) / 55 (महिला) वर्ष की आयु प्राप्त की है:

(क) उनके और उनके पति या पत्नी के पास आय का नियमित स्रोत नहीं हो या

(ख) आवेदक और उसके पति या पत्नी की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 48000 प्रति वर्ष से कम हो या

(ग) बीपीएल या अंत्योदय परिवार का सदस्य हो या

(घ) सहरिया/काथोडी/खेरवा जाति के हों या *आस्था*[8] कार्ड धारक परिवार के सदस्य हों।

---

[6] पत्र दिनांक 04-06-2013 के द्वारा योजनाओं का नाम बदलकर मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना (सीएमओएपीएस) और मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना (सीएमडब्लूपीएस) से क्रमशः सीएमओएएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस कर दिया गया। हालाँकि, डेटा डंप में उनके नाम अभी भी पुराने नामकरण के अनुसार थे।

[7] https://ssp.rajasthan.gov.in/LoginContent/MidLogin.aspx

[8] आस्था राजस्थान सरकार की एक योजना है जिसमें कम से कम दो सदस्यों के 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता और ₹ 1.20 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों को बीपीएल परिवारों के समान मुफ्त चिकित्सा उपचार, राशन आदि जैसे लाभ प्रदान किए जाते हैं।

इसके अलावा, यदि आवेदक स्वयं या उसके पति, पत्नी या पुत्र केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, राज्य सरकार, राजकीय उपक्रम में सेवारत हैं या केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, राज्य सरकार, राजकीय उपक्रम के पेंशनभोगी हैं तो वे इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

योजना के तहत 75 वर्ष से कम आयु के लिए ₹ 750 और 75 वर्ष और उससे अधिक आयु होने पर ₹ 1000 प्रति माह पेंशन का भुगतान पात्र लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में किया जाता है।

(ii) मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

इस योजना में 18 वर्ष और उससे अधिक की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को जो राजस्थान की निवासी हैं निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार पेंशन भुगतान की परिकल्पना की गई है:

(क) बीपीएल या अंत्योदय परिवार की सदस्य हो या

(ख) सहरिया/काथोडी/खेरवा जाति की हो या *आस्था* कार्ड धारक परिवार की सदस्य हो या

(ग) एचआईवी / एड्स पीड़ित और राज्य एड्स नियंत्रण संस्था के साथ पंजीकृत हो या

(घ) उसकी वार्षिक आय का कोई नियमित स्रोत नहीं हो या सभी स्रोतों से आय ₹ 48,000 प्रति वर्ष से कम हो।

इसके अलावा यदि आवेदक स्वयं या उसके पुत्र केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, राज्य सरकार, राजकीय उपक्रम में सेवारत हैं या केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, राज्य सरकार, राजकीय उपक्रम के पेंशनभोगी हैं तो वे इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 18 वर्ष की आयु से लेकर 55 वर्ष की आयु तक ₹ 500, 55 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक ₹ 750, 60 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक ₹ 1,000 और 75 वर्ष और उससे अधिक आयु होने पर ₹ 1,500 की मासिक पेंशन मिलती है।

1.2.2 लेखापरीक्षा दायरा, जिलों और निम्न स्तर की इकाईयों का चयन और लेखापरीक्षा पद्धति

(क) लेखापरीक्षा का दायरा

लेखापरीक्षा में अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 तक की अवधि सम्मिलित की गई। लाभार्थियों को डीबीटी / नगद अंतरण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म की जांच की गई। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने लाभार्थियों को लाभों के हस्तांतरण और लाभार्थियों को लाभ की वास्तविक प्राप्ति के साथ योजना कार्यान्वयन से संबंधित विषयों जैसे देरी, शिकायत निवारण आदि पर भी ध्यान केंद्रित किया।

(ख) जिलों और निम्न-स्तर की इकाईयों का चयन

कोविड-19 के प्रसार को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लेखापरीक्षा केवल जयपुर और आसपास के जिलों तक ही सीमित थी। इसलिए छह जिलों यानि जयपुर, दौसा, टोंक, सीकर, अजमेर और अलवर तथा इन छह जिलों में से प्रत्येक से दो खंडो का चयन किया गया था। सर्वेक्षण के लिए जिलों, निम्न स्तर की इकाईयों और लाभार्थियों के चयन का विवरण ***परिशिष्ट क*** में दिया गया है।

(ग) लेखापरीक्षा पद्धति

नि.ले.प. के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

- सा.न्या.एवं अधि.वि. और आयोजना विभाग के डिजिटल और भौतिक अभिलेख, डेटा और प्रतिवेदनों की जांच की गई।
- बैंक खातों में पेंशन प्राप्त करने वाले प्रत्येक योजना के 240 लाभार्थियों का तथा मनी आर्डर के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाली दोनों योजनाओं के 72 लाभार्थियों (कुल 552 लाभार्थियों) का लाभार्थी सर्वेक्षण।
- चयनित ग्राम पंचायतों एवं वार्डों के संबंधित कोषालयों में कोषालय स्तर की जांच।
- विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए लॉग इन आईडी आधारित एक्सेस के माध्यम से राजएसएसपी पोर्टल के विभिन्न प्रतिवेदनों में उपलब्ध सूचनाओं की जांच।
- राज्य डाटा केंद्र का संयुक्त भौतिक सत्यापन।

इसके अलावा राजएसएसपी डेटा डंप[9] (दो योजनाओं से संबंधित जानकारी से युक्त) का डेटा विश्लेषण भी किया गया। सा.न्या.एवं अधि.वि. ने विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 की अवधि के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का डेटा डंप (13 जनवरी 2021) उपलब्ध कराया।

डेटा डंप विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि:

(अ) उपलब्ध कराया गया डेटा विश्वसनीय, सटीक और पूर्ण है;

(आ) सभी लाभार्थियों के डेटा का डिजिटलीकरण किया गया;

(इ) लाभार्थी डेटा के अनुमोदन और संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया/कार्य प्रवाह है;

(ई) डेटाबेस में अनिवार्य फील्ड निर्दिष्ट किए गए हैं/ भरे गए हैं;

(उ) डेटा के प्रोसेसिंग और अनुमोदन के लिए अलग प्राधिकारियों का निर्धारण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का हिस्सा है;

(ऊ) लाभार्थी डेटा में त्रुटियों को रोकने के लिए नियंत्रण मौजूद हैं; तथा

[9] डेटा डंप दो प्रणालियों के बीच स्थानांतरित डेटा की बड़ी मात्रा है। उदाहरण के लिए, एक डेटाबेस को दूसरे नेटवर्क सर्वर पर डंप किया जा सकता है, जहां इसका उपयोग अन्य सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन द्वारा किया जा सकता है या किसी व्यक्ति द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है।

(ए) असफल संव्यवहारों की निगरानी, अनुश्रवण और मिलान किया गया है ।

डेटा डंप के डेटा विश्लेषण के दौरान की गई जांच का विवरण ***परिशिष्ट ख*** में दिया गया है ।

सा.न्या.एवं अधि.वि., राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ, सू.प्रो.सं.वि.[10], राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), निदेशालय, कोष और लेखा (डीटीए) और जनाधार प्राधिकरण[11] के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली की व्याख्या करते हुए दिनांक 19 नवम्बर 2020 को एक परिचयात्मक परिचर्चा का आयोजन किया गया था । पेंशन स्वीकृति और भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं सहित राजएसएसपी पोर्टल की कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए 25 नवंबर 2020 को सा.न्या.एवं अधि.वि और एनआईसी के अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग और महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान के अधिकारियों की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी । प्रारूप प्रतिवेदन 16 अगस्त 2021 को राज्य सरकार को भेजा गया जिसका प्रत्युत्तर 31 अगस्त 2021 को प्राप्त हुआ । इसके बाद 03 सितंबर 2021 को सचिव, सा.न्या.एवं अधि.वि., एनआईसी, राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ, डीटीए और सू.प्रो.सं.वि. के अधिकारियों के साथ एक समापन परिचर्चा आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों, सरकार के प्रत्युत्तरों और लेखापरीक्षा अनुशंसाओं पर चर्चा की गई । समापन परिचर्चा के दौरान एवं बाद में राज्य सरकार की प्रतिक्रियाओं को संबंधित अनुच्छेदों में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है ।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 की अवधि को सम्मिलित करते हुए नि.ले.प. यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि:

(क) क्या डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रिया की पुनर्रचना (री-इंजीनियरिंग) की गई जिससे:

- मध्यस्थ स्तर,
- अभीष्ट लाभार्थियों को भुगतान में देरी और
- छीजत और दोहराव को कम किया जा सके ।

(ख) क्या डीबीटी का बुनियादी ढांचा, संगठन और प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी थे ।

(ग) क्या लाभार्थियों को वास्तव में लाभ प्राप्त हुए ।

(घ) क्या योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रभावी शिकायत निवारण सुनिश्चित किया गया ।

[10] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार

[11] आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना विभाग, राजस्थान सरकार के अंतर्गत

1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंडों का मुख्य स्रोत निम्नलिखित दस्तावेजों से प्राप्त किया गया:

(क) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013

(ख) राजस्थान कोषागार नियम, 2012

(ग) सामान्य वित्तीय और लेखा नियम (रा.स.)

(घ) राजस्थान ई-गवर्नेंस आईटी और आईटीईएस नीति, 2015

(ङ) राजस्थान जन-आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020

(च) राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) अधिनियम, 2017

(छ) राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) नियम, 2018

(ज) केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दस्तावेज, परिपत्र, आदेश, निर्देश और अधिसूचना

(झ) मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), डीबीटी पर हैंडबुक और कैबिनेट सचिवालय के तहत डीबीटी मिशन द्वारा जारी राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के लिए दिशानिर्देश

(ञ) डेटाबेस के रखरखाव, विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने और आईटी नियंत्रण के संबंध में निर्देश

1.5 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का राजएसएसपी पोर्टल

राजएसएसपी पोर्टल नवंबर 2011 में शुरू की गई एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) का सामाजिक सुरक्षा पेंशन मॉड्यूल है। सा.न्या.एवं अधि.वि. द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का विवरण इस पोर्टल पर उपलब्ध है। पात्र आवेदकों के लिए स्वीकृतियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी (उ.ख.अ./ख.वि.अ.) द्वारा जारी की जाती हैं और पेंशन संवितरण के लिए राजएसएसपी के माध्यम से संबंधित कोषालयों/उप-कोषालयों[12] में भेजी जाती हैं।

[12] 30 अप्रैल 2020 से सा.न्या.एवं अधि.वि. के अतिरिक्त निदेशक/पेंशन को एकल आहरण एवं संवितरण अधिकारी (आ.एवं सं.अ.) और जयपुर ग्रामीण कोषालय को सा.न्या.एवं अधि.वि. की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए एकल कोषालय बनाया गया है। इसका अर्थ है कि सीएमओएएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस सहित सा.न्या.एवं अधि.वि. के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बिल अतिरिक्त निदेशक (पेंशन)/ सा.न्या.एवं अधि.वि. द्वारा तैयार किए जाते हैं और ऐसे सभी बिल जयपुर ग्रामीण कोषालय द्वारा पारित किए जाते हैं।

1.6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन में डीबीटी प्रक्रिया

आवेदन, सत्यापन, स्वीकृति जारी करने, पेंशन भुगतान और अपील की प्रक्रिया

पहले राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन और प्रोसेसिंग से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन थी। विभाग ने राजएसएसपी की शुरुआत के साथ पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन लाने के लिए बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) की, भामाशाह/जनाधार जनसांख्यिकीय डेटा का लाभ उठाने, एकल-आहरण एवं संवितरण अधिकारी एकल-कोषालय प्रणाली आदि की शुरूआत जैसे उपायों के माध्यम से विगत वर्षों में प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया और लाभार्थियों के बैंक खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सीधे भुगतान के लिए डीबीटी की शुरुआत की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन (सीएमओएएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस सहित) के वितरण की प्रक्रिया को नीचे वर्णित किया गया है।

आवेदन प्रक्रिया: आवेदक किसी भी ई-मित्र किओस्क/ या सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) आईडी के माध्यम से राजएसएसपी पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में भामाशाह/जन-आधार संख्या और आधार संख्या भर कर ऑनलाइन[13] आवेदन कर सकता है। भामाशाह/ जनाधार और आधार डेटाबेस में उपलब्ध आवेदकों के व्यक्तिगत/जनसांख्यिकीय विवरण बायोमेट्रिक/वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्रमाणीकरण के बाद पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही भर जाएंगे। फिर आवेदन संबंधित सत्यापन अधिकारी को भेजा जाएगा जिसकी ऑनलाइन सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी।

सत्यापन: आवेदन पत्र प्राप्त करने पर सत्यापन अधिकारी आवेदन में आवेदक द्वारा भरे गए विवरणों जैसे जन्म तिथि, आयु, अधिवास, निवास स्थान, आय का स्रोत और अन्य पात्रता मानदंड की जांच करता है। आवेदन पत्र की जांच और सत्यापन के बाद सत्यापन अधिकारी सत्यापित आवेदन को स्वीकृति प्राधिकारी को वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ ऑनलाइन भेज देगा।

स्वीकृति: ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद स्वीकृति अधिकारी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करता है और दोनों मामलों में, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आदेश दिए जाते हैं और फिर से आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचना भेजी जाती

[13] आदेश दिनांक 07.06.2017 द्वारा

है। आवेदन की स्वीकृति के मामले में, स्वीकृति अधिकारी द्वारा एक ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है ।

पेंशन भुगतान आदेश: ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति आदेश को पेंशन भुगतान आदेश माना जाता है । राजएसएसपी के माध्यम से ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर, संबंधित कोषालय अधिकारी/पेंशन भुगतान अधिकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य करता है और आईएफएमएस के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया शुरू करता है ।

अपील: स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा पेंशन दावे की अस्वीकृति के आदेश के विरुद्ध दो माह के भीतर जिला कलेक्टर को अपील की जा सकती है । सा.न्या.एवं अधि.वि. को योग्यता के आधार पर आवश्यक समझे जाने पर जिला कलेक्टर के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार होगा ।

इस प्रक्रिया को नीचे दिए गए कार्य प्रवाह और प्रक्रिया प्रवाह आरेखों के माध्यम से चित्रित किया गया है ।

चार्ट 1

सीएमओएएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस का कार्य प्रवाह आरेख

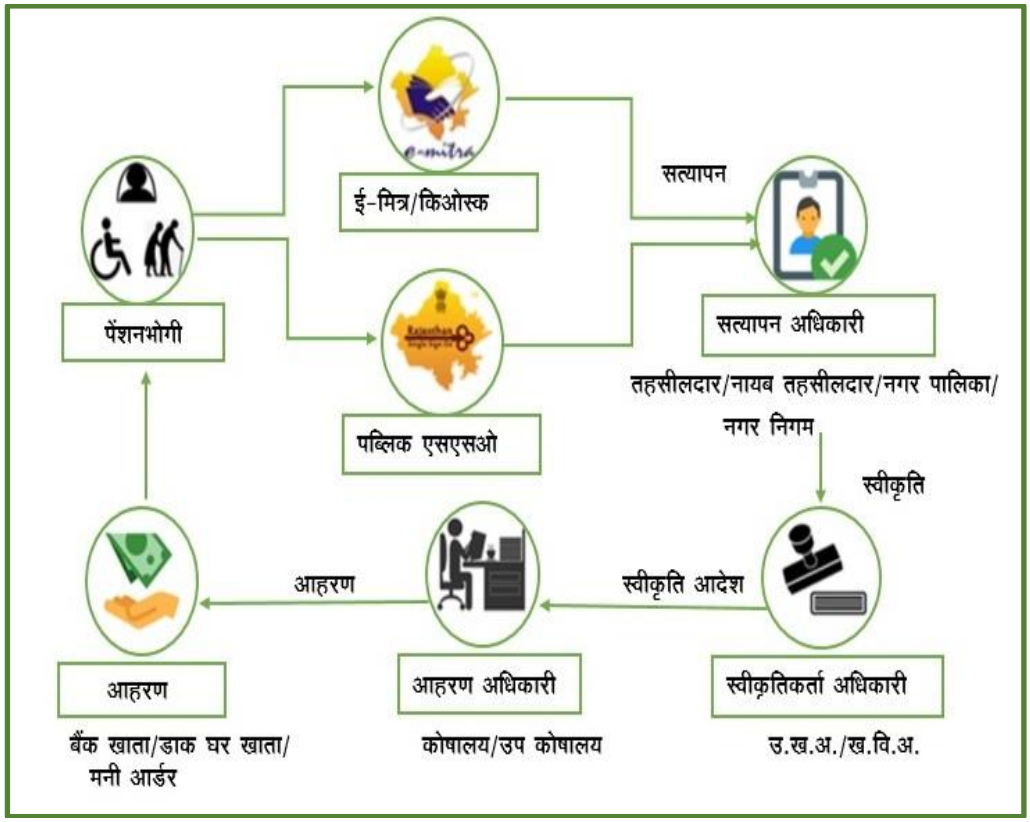

चार्ट 2

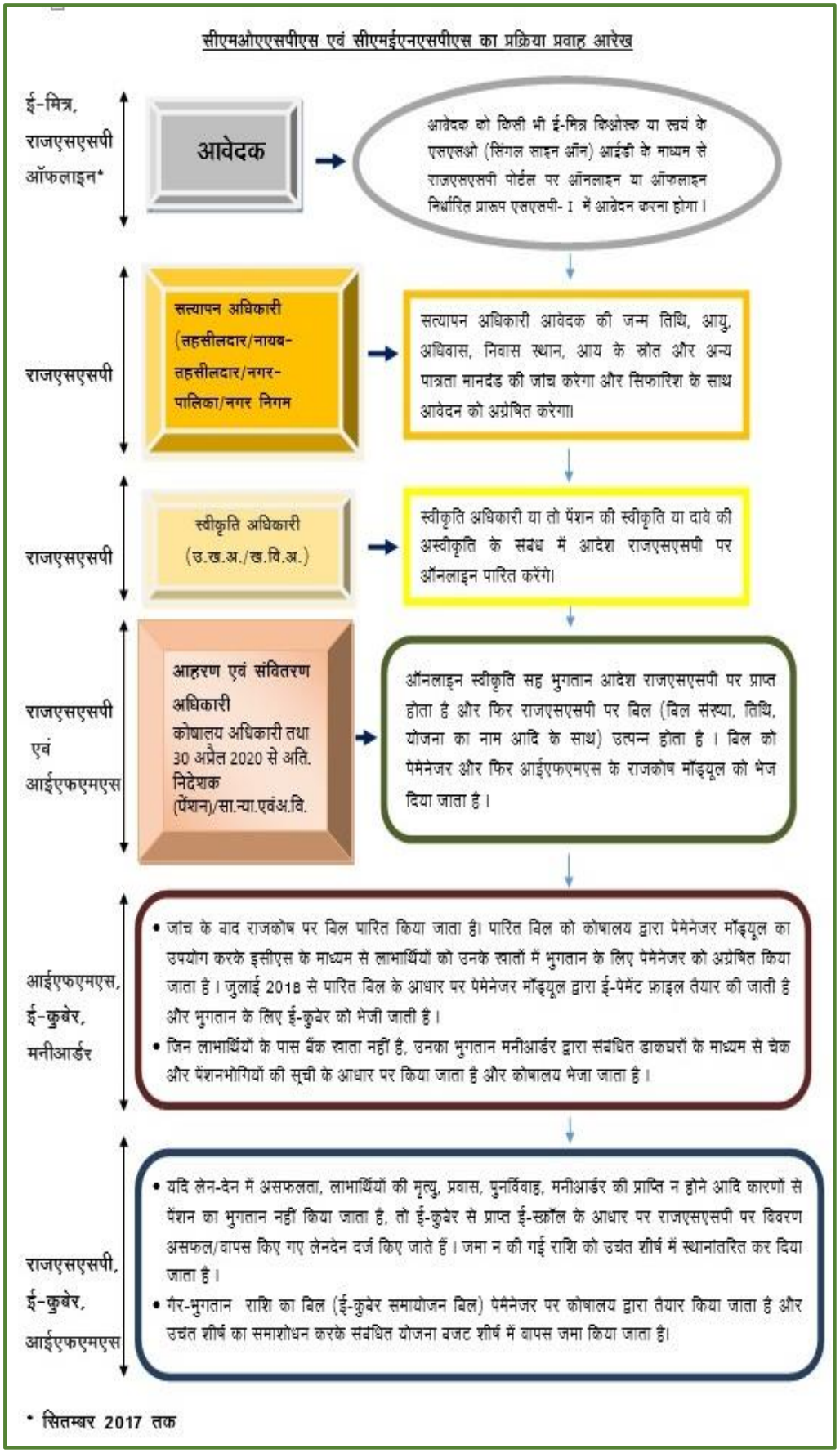
सीएमओएएसपीएस एवं सीएमईएनएसपीएस का प्रक्रिया प्रवाह आरेख
ई-मित्र, राजएसएसपी ऑफलाइन*
आवेदक
आवेदक को किसी भी ई-मित्र किओस्क या स्वयं के एसएलओ (सिंगल साइन ऑन) आईडी के माध्यम से राजएसएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन निर्धारित प्रारूप एसएसपी- I में आवेदन करना होगा।
राजएसएसपी
सत्यापन अधिकारी (तहसीलदार/नायब-तहसीलदार/नगर-पालिका/नगर निगम
सत्यापन अधिकारी आवेदक की जन्म तिथि, आयु, अधिवास, निवास स्थान, आय के स्रोत और अन्य पात्रता मानदंड की जांच करेगा और सिफारिश के साथ आवेदन को अग्रेषित करेगा।
राजएसएसपी
स्वीकृति अधिकारी (उ.ख.अ./ख.वि.अ.)
स्वीकृति अधिकारी या तो पेंशन की स्वीकृति या दावे की अस्वीकृति के संबंध में आदेश राजएसएसपी पर ऑनलाइन पारित करेंगे।
राजएसएसपी एवं आईएफएमएस
आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोषालय अधिकारी तथा 30 अप्रैल 2020 से अति. निदेशक (पेंशन)/सा.न्या.एवंअ.वि.
ऑनलाइन स्वीकृति सह भुगतान आदेश राजएसएसपी पर प्राप्त होता है और फिर राजएसएसपी पर बिल (बिल संख्या, तिथि, योजना का नाम आदि के साथ) उत्पन्न होता है। बिल को पेमेनेजर और फिर आईएफएमएस के राजकोष मॉड्यूल को भेज दिया जाता है।
आईएफएमएस, ई-कुबेर, मनीआर्डर
• जांच के बाद राजकोष पर बिल पारित किया जाता है। पारित बिल को कोषालय द्वारा पेमेनेजर मॉड्यूल का उपयोग करके इसीएस के माध्यम से लाभार्थियों को उनके खातों में भुगतान के लिए पेमेनेजर को अग्रेषित किया जाता है। जुलाई 2018 से पारित बिल के आधार पर पेमेनेजर मॉड्यूल द्वारा ई-पेमेंट फ़ाइल तैयार की जाती है और भुगतान के लिए ई-कुबेर को भेजी जाती है।
• जिन लाभार्थियों के पास बैंक खाता नहीं है, उनका भुगतान मनीआर्डर द्वारा संबंधित डाकघरों के माध्यम से चेक और पेंशनभोगियों की सूची के आधार पर किया जाता है और कोषालय भेजा जाता है।
राजएसएसपी, ई-कुबेर, आईएफएमएस
• यदि लेन-देन में असफलता, लाभार्थियों की मृत्यु, प्रवास, पुनर्विवाह, मनीआर्डर की प्राप्ति न होने आदि कारणों से पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ई-कुबेर से प्राप्त ई-स्क्रॉल के आधार पर राजएसएसपी पर विवरण असफल/वापस किए गए लेनदेन दर्ज किए जाते हैं। जमा न की गई राशि को उचंत शीर्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
• गैर-भुगतान राशि का बिल (ई-कुबेर समायोजन बिल) पेमेनेजर पर कोषालय द्वारा तैयार किया जाता है और उचंत शीर्ष का समाशोधन करके संबंधित योजना बजट शीर्ष में वापस जमा किया जाता है।
* सितम्बर 2017 तक

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया, जिसमें राजएसएसपी पोर्टल, पे मैनेजर[14] और राजकोष[15] मॉड्यूल्स सम्मिलित हैं, नीचे चार्ट 3 में दिखाई गई है:

चार्ट 3

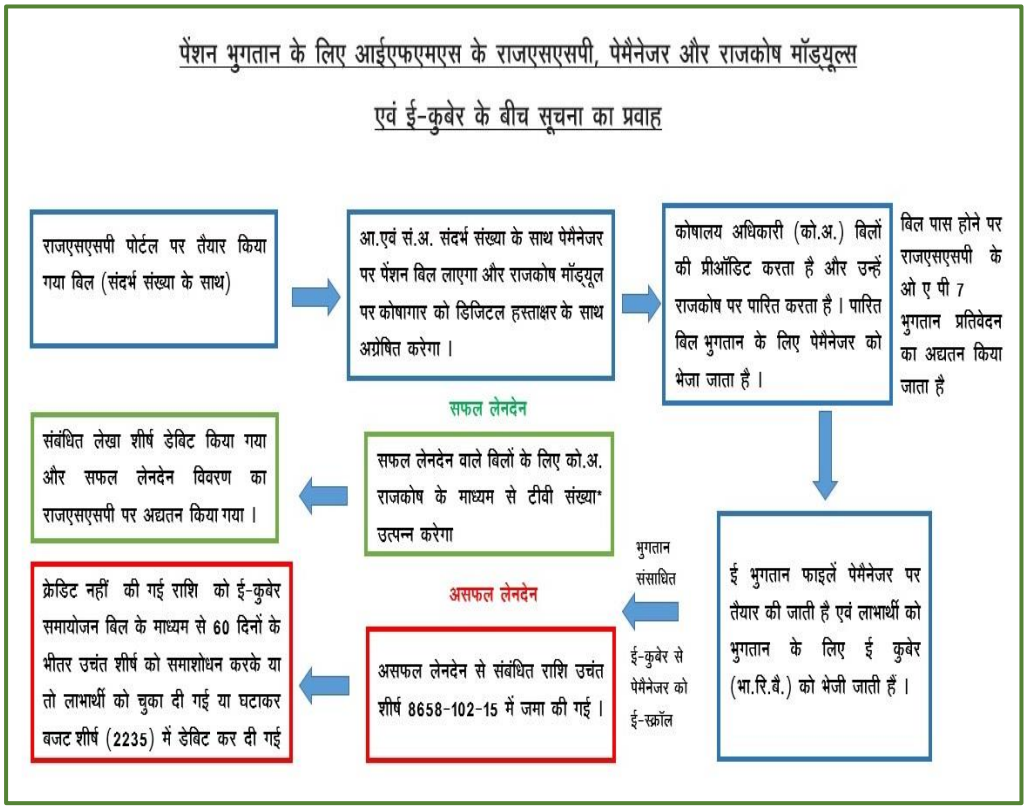

* ट्रेजरी (कोषालय) वाउचर संख्या

1.7 प्रशंसनीय कदम

लेखापरीक्षा के दौरान, पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन में उठाये गए निम्नलिखित प्रशंसनीय कदम दृष्टिगोचर हुए: :

(i) जब लाभार्थी इन सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए आवेदन करता है तो आवश्यक जनसांख्यिकीय जानकारी जनाधार डेटाबेस से प्राप्त की जाती है और इसलिए लाभार्थी को आवेदन के समय दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार इन योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है।

[14] पे मैनेजर आईएफएमएस का बिल तैयार करने का मॉड्यूल है।

[15] राजकोष (ऑनलाइन कोषालय लेखांकन प्रणाली) मिशन मोड प्रोजेक्ट श्रेणी के तहत राजस्थान सरकार की एक ई-गवर्नेंस पहल है और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा है। राजकोष बिल, वाउचर और चालान जमा करने, प्रभावी बजट नियंत्रण, कोषालय खातों के संकलन, प्रतिवेदन तैयार करने, बाहरी एजेंसियों के लिए इंटरफेस और विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट की सुविधा प्रदान करता है।

(ii) पहले लाभार्थी को पेंशन जारी रखने के लिए जीवन के प्रमाण के लिए वार्षिक सत्यापन के लिए नामित अधिकारियों से भौतिक रूप से संपर्क करना पड़ता था। दिसंबर 2019 से पेंशन योजनाओं के लाभार्थी ई-मित्र किओस्क से वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं या जन-आधार से जुड़ी योजनाओं के लिए नवंबर / दिसंबर के महीनों के दौरान बायोमेट्रिक / ओटीपी प्रमाणीकरण इन पेंशन योजनाओं के लिए वर्ष के लिए वार्षिक सत्यापन के रूप में मान्य है। इससे राजस्थान जैसे भौगोलिक दृष्टि से बड़े राज्य के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले इन दो योजनाओं के लाभार्थियों, विशेष रूप से वृद्ध या विधवा लाभार्थियों, को सुविधा होती है।

(iii) कुछ आईटी से संबंधित अच्छे कदम भी देखे गए:

- **सत्र टाइम आउट:** राजएसएसपी के लिए 30 मिनट के निष्क्रिय समय के बाद स्वतः लॉग आउट का एप्लीकेशन कन्ट्रोल था जो उपयोगकर्ताओं के सेशन आईडेंटीफायर्स[16] को चोरी या पुनः उपयोग जैसे सत्र-आधारित हमलों के जोखिम को कम करके एप्लिकेशन की सुरक्षा को बढ़ाता है।

- **पासवर्ड बदलने की नीतिः** उपयोगकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर पासवर्ड बदलने की आवश्यकता होती है जिसके बाद पासवर्ड समाप्त हो जाता है।

- **जयपुर में राजस्थान राज्य डाटा सेंटरः** डेटा सेंटर में अनधिकृत भौतिक पहुंच को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय जैसे गार्ड, सीसीटीवी कैमरे, दो स्तरीय पंजीकरण प्रक्रिया, आरएफआईडी आधारित प्रमाणीकरण आदि मौजूद थे। आग और अन्य खतरों के विरुद्ध फायर अलार्म सिस्टम, गैस (नोवेक) आधारित अग्निशामक प्रणाली, अग्निशामक, तड़ित अरेस्टर आदि उपाय भी किए गए थे।

1.8 अंतरिम लेखापरीक्षा अनुशंसाओं पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार ने निम्नलिखित सुधारात्मक कार्यवाही की:

(i) असफल लॉगिन प्रयासों की सीमा

लेखापरीक्षा ने देखा कि राजस्थान सरकार की आईटी नीति 2015 के पैरा 6.6 (D)(d) के अनुसार पांच असफल प्रयासों के बाद भी राजएसएसपी के उपयोगकर्ता का खाता लॉक नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, असफल लॉगिन प्रयासों के बाद उपयोगकर्ताओं को कोई चेतावनी/संदेश प्राप्त नहीं होता था। लेखापरीक्षा अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उपचारात्मक कार्यवाही की गई और अब सिस्टम तीन से अधिक असफल लॉगिन प्रयासों की

[16] 'ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट' जो सॉफ्टवेयर सुरक्षा में सुधार की दिशा में काम कर रही एक गैर-लाभकारी फाउंडेशन है के अनुसार।

अनुमति नहीं देता है और असफल लॉगिन प्रयास के मामले में उपयुक्त संदेश भी प्रदर्शित होता है। इन्हें लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किया गया है (सितम्बर 2021)।

(ii) राजएसएसपी डेटाबेस में अमान्य/अपशिष्ट/अस्पष्ट प्रविष्टियाँ

लेखापरीक्षा ने राजएसएसपी के विभिन्न फ़ील्ड्स में अमान्य/ अपशिष्ट/ अस्पष्ट प्रविष्टियों को देखा, जिसका ***परिशिष्ट ग*** में विस्तृत विवरण है। इसके परिपेक्ष में राज्य सरकार ने संबंधित फ़ील्ड्स की प्रविष्टियों को मानकीकृत किया, जिन्हें ड्रॉप डाउन मेन्यू से चुना जाता है। इस प्रकार उन फ़ील्ड्स में बेतुकी/अमान्य प्रविष्टियों से बचा गया।

1.9 आभार

लेखापरीक्षा इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन में सा.न्या.एवं अधि.वि., योजना विभाग, वित्त विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, एनआईसी और चयनित ग्राम पंचायतों, वार्डों और अन्य कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा विभिन्न चरणों में प्रदान किये गए सहयोग हेतु आभार प्रकट करती है।